अनुदान संख्या 45 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 45 – DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2663,00,00	3189,29,00	2690,60,63	-498,68,37
पूरक	Supplementary	526,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				332,94,23

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹49868.37 लाख) जुलाई, 2021 तथा दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹52629.00 लाख के पूरक अनुदान का 95 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹49868.37 lakhs) constituted 95 percent of the supplementary grants of ₹52629.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021 and 16 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	4500.00	3591.52	3591.00	-0.52
पु.	R.	-908.48			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health					
मू.	O.	251400.00				
पू.	S.	52629.00		282043.25	265469.63	-16573.62
पु.	R.	-21985.75				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	10400.00				
				..	..	..
पु.	R.	-10400.00				

(I) ₹10400.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹9500.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–एलोपैथी" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" – ₹8000.00 लाख;

(खा) "प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" – ₹900.00 लाख; और

(गा) "स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास" – ₹600.00 लाख।

(I) Provision of ₹10400.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads, of these ₹9500.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Medical Education, Training and Research-Allopathy" - under the following heads:-

(A) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" – ₹8000.00 lakhs;

(B) "Management of Natural Calamities" – ₹900.00 lakhs; and

(C) "Promotion, Co-ordination and Development of Health Research" – ₹600.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ″2210″ – ″चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान″ – ₹227800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹52628.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹280428.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, किटों के स्वदेशी उत्पादन, कोविड–19 महामारी के कारण कम कार्यकलाप किए जाने और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किए जाने के कारण ₹47368.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research – Allopathy - Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi” - the original provision of ₹227800.00 lakhs was augmented to ₹280428.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹52628.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹47368.38 lakhs - due to indigenous production of kits, less activities owing to COVID-19 pandemic and streamlining of procurement process.

(III) (मुख्य शीर्ष ″2251″ – ″सचिवालय – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग″ – ₹909.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2251” – “Secretariat-Department of Health Research”- saving of ₹909.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष ″2210″ के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः

(IV) Under Major Head “2210”- savings occurred under the following heads:-

(का) ″शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अन्य व्यय – चिकित्सा, जैव–चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय″ – ₹868.90 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) “Urban Health Services- Allopathy- Other Expenditure - Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research” - saving of ₹868.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards research projects owing to COVID-19 pandemic.

(खा) ″चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी संवर्धन, समन्वय और विकास″ – ₹1439.36 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण चिकित्सा अनुसंधान युनिटों की स्थापना के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) “Medical Education, Training and Research- Allopathy – Promotion, Co-ordination and Development of Health Research” - saving of ₹1439.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for establishment of Medial Research Units owing to COVID-19 pandemic.

(गा) ''सामान्य – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – भारत तथा विदेश में सम्मेलनों का आयोजन/भागीदारी'' – ₹581.83 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण विदेश यात्राओं, सेमिनार तथा सम्मेलन प्रतिबंधित होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11599.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2210'' – ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – पीएम–एबीएचआईएम जैवसुरक्षा तैयारी तथा महामारी अनुसंधान तथा विविध क्षेत्र, वन हैल्थ के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं और प्लेटफार्मों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

(C) “General - International Co-operation -Organisation/Participation to Conferences in India and Abroad”- saving of ₹581.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to restriction on foreign travel, seminar and conferences owing to COVID-19 pandemic.

2. The above savings were partly (₹11599.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “2210” – “Medical Education, Training and Research- Allopathy – PM-ABHIM Biosecurity Preparedness and Strengthening Pandemic Research and Multi Sector, National Institutions and Platforms for One Health”.